(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 189/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/177

बउनवान

1. बृजराज सिंह आयु 59 वर्ष पुत्र खजान सिंह जाति मीणा निवासी खरखडा आसन तह. अटरू
2. हेमराज आयु 57 वर्ष पुत्र खजान सिंह जाति मीणा निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू
3. हंसराज आयु 49 वर्ष पुत्र खजान सिंह जाति मीणा निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र केदार जाति बैरवा निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारॉ
2. राममूर्ति पुत्र केदार जाति बैरवा निवासी खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021 किस्म अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट बउनवान मांगीलाल बनाम खजान सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022

उपस्थित :– 1– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 03.08.2022

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021 किस्म अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान मांगीलाल बनाम खजान सिंह में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13.06.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो पत्रांक 1510 दिनांक 17.06.2022 से प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 23.05.2022 को मृतक खजान सिंह पुत्र उग्रसेन जाति मीणा के विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2022 मृत्यु के बाद पारित किया गया है जबकि खजान सिंह मीणा का देहान्त दिनांक 28.04.2022 को हो चुका है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो सर्वथा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी जिरोद से मौका रिपोर्ट चापही गई थी जिस पर हल्का पटवारी जिरोद द्वारा खाता संख्या 266 की आराजी खसरा नम्बर 82/698 रकबा 1.00 हैक्टेयर पर 30–40 वर्षो से हंसराज पुत्र खजान सिंह जाति मीणा निवासी खरखडा आसन का कब्जा बताया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी जिरोद ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से 30–40 वर्षो से हंसराज का कब्जा बताया गया यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय मे रिकार्ड पर आ चुका था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खजान सिंह के विरूद्व व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बावजूद हंसराज को पक्षकार नही बनाया जाकर मनमाना व विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2022 को पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त आराजी केदार पुत्र सूरजमल कोम बैरवा को कीमतन आवंटन की गई थी जिसकी राशि भी आज तक जमा नही करवाई गई है। इस कारण आज तक उक्त आराजी गैर खातेदारी मे चली आ रही है। आवंटन के समय से लेकर आज तक कभी भी केदारलाल पुत्र सूरजमल एवं उसका देहान्त होने के बाद उसके वारिसान रेस्पो0 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है न कीमतन राशि जमा कराई गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नही किया गया और मृतक व्यक्ति खजान सिंह जो अप्रार्थी बनाया गया है, का देहान्त दिनांक 28.04.2022 को हो चुका था उसके विरूद्व दिनांक 23.05.2022 को निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों का घोर उल्लंघन करते हुये निर्णय दिनांक 23.05.2022 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू का निर्णय दिनांक 23.05.2022 प्रकरण संख्या 02/2021 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुये कहा गया कि अपीलांट की गैर खातेदारी की भूमि वाके ग्राम खरखडा आसन मे स्थित है, जिसका खसरा नम्बर 82/698 रकबा 1.00 है0 भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा उक्त आराजी सिलिंग सिवायचक के रूप मे आवंटित की गई थी। तब से ही रेस्पोडेन्टगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था, लेकिन अपीलांट के पिताजी के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया जिसकी शिकायतें रेस्पोडेन्ट के द्वारा समय–समय पर की जाती रही है, लेकिन अपीलांट पावरफुल व प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण रेस्पोडेन्टगण की भूमि से कब्जा काश्त नही हटाया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्टगण के द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 23.05.2022 को तहसीलदार अटरू के द्वारा रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे किया जाकर अपीलांट के पिताजी खजान सिंह को बेदखल कर सीमाज्ञान कर कब्जा सुपुर्द किए जाने का आदेश प्रदान किये गए, लेकिन अपीलांट के द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी गई।

यह कि अपीलांट ने अपनी अपील मेमो मे पेरा नं0 1 मे यह लिखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.05.2022 को मृतक खजान सिंह के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जबकि खजान सिंह की मृत्यु दिनांक 28.04.2022 को होना बताया है तथा अपीलांट के द्वारा पूर्व मे इस तथ्य को छिपाया गया, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी की विधिवत तामील करवाई गई थी तथा अपीलांट के बताये पते के अनुसार ही तामील करवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट जानबूझ कर उपस्थित नही हुए और मृत्यु के तथ्य को भी छिपाया गया।

यह कि पेरा नं0 2 अपील मे इस प्र[illegible] गया है कि अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है उक्त तथ्य बिल्कुल निराधार एवं [illegible] है क्योकि रेस्पोडेन्टगण के राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक खसरा गिरदावरी से साबित होता है कि अपीलांट का नया कब्जा है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 (बी) मे स्पष्ट प्रावधान दिए गए है कि उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने वाला व्यक्ति खातेदार या गैरखातेदार होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति की जमीन पर अन्य जाति का कब्जा काश्त होना आवश्यक है तथा उक्त धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही का वर्णन किया गया है तथा अनुसूचित जाति की जमीन पर किसी अन्य जाति, अनुसूचित जनजाति या सवर्ण व्यक्ति का कब्जा काश्त होने पर उसको त्वरित कार्यवाही करके राहत प्रदान की जा सकती है जैसा कि आर.आर.टी 2005 वोल्यूम–I पेज नं0 405 मे अंकित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अपीलांट ने अपील के पेरा नं0 3 मे लिखा है कि उक्त आराजी केदार पुत्र सूरजमल कौम बैरवा को आवंटन की गई थी तथा वर्तमान मे गैरखातेदारी मे चली आ रही है तथा उक्त आराजी मे आवंटन की राशि जमा नही कराई गई तथा उक्त तथ्य गैर खातेदारी से खातेदारी का आवेदन करन पर साबित होगा। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह बिल्कुल विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण सव्यय खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021 किस्म अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान मांगीलाल बैरवा बनाम खजान सिंह मीणा में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा खजान सिंह मीणा की मृत्यु दिनांक 28.04.2022 को होना अवगत करवाते हुये मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अपील मे संलग्न की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (मृतक) खजान सिंह मीणा के विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2022 को पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों को विपरीत पारित किया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 2/2021 किस्म अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान मांगीलाल बैरवा बनाम खजान सिंह मीणा मे पारित निर्णय दिनांक 23.05.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मृतक खजान सिंह मीणा के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **03.08.2022** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested